६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

डिक्री

संख्या 20/11	धारा अंतर्गत 88,89,91 RTA	निर्णय दिनांक 30.6.15

पक्ष :- श्री चिमन लाल मीना ADS

उपस्थिति :- अभिभाषक वादी —	अभिभाषक प्रतिवादी —

राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट ~~व्यापन्ना~~

वाद शीर्षक

अमरा व. हीरा जाति बंजारा स्था. पीपलखेड़ी तह. छबड़ा
बनाम
राजस्थान सरकार मेथि. छबड़ा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट - मुकाम बापन्या पर प्रकरण पेश हुआ, मजमून आम सहमति उपरान्त वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज किया, डिक्री पर्चा जारी किया।

साथ ही निम्नानुसार.....0.....रु. का व्ययानुतोष.....0.....द्वारा.....0.....को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.....30/6/15.....को निर्गत किया गया।

30/6/15

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा उपखण्ड अधिकारी (बारां)
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज(%)		
	योग		